भारत सरकार
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 56 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :–12.03.2025

1. सुरजमल पिता छोटू जाति बैरवा निवासी चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. घांसी पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी चतरगंज तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. दयाराम पुत्र छोटू जाति बैरवा निवासी चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. नाथू पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. पुष्पा बाई पत्नी श्री रामकिशन जाति बैरवा निवासी चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. फौरूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. बिसर बाई पुत्री छोटू जाति बैरवा निवासी चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. भूरी पुत्री छोटू जाति बैरवा निवासी चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. मन्नी पुत्री रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
9. रमेश पुत्र रामकिशन जाति बैरवा निवासी चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
10. रामनारायण पुत्र छोटू जाति बैरवा निवासी चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
11. सीता पत्नी छोटू जाति बैरवा निवासी चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
12. कालू पुत्र जयकिशन जाति बैरवा निवासी चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
13. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री महेश नामा
वकील अप्रार्थी :– एकतरफा

निर्णय दिनांक :– 21 / 08 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि खाता संख्या 248 की भूमि खसरा संख्या 1052, 1071, 1072, 1081, 1082, 1092, 1093, 1094 कुल किता 8 कुल रकबा 3.4318 हैक्टेयर, खाता संख्या 272 के खसरा संख्या 1793 / 1294, 1794 / 1294 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3884 हैक्टेयर वाके ग्राम चतरगंज पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सोनू पुत्र छोटू दर्ज किया हुआ है उक्त इन्द्राज गलत एवं अशुद्ध है जबकि प्रार्थी का नाम सुरजमल बैरवा पिता छोटू है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिये जाने से एवं प्रार्थी सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम सोनू पिता छोटू अंकित होने से प्रार्थी उक्त भूमियों पर बैंक से ऋण वगेरा व सहकारी योजनाओं का लाभ भी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

नहीं उठा पा रहा है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलत इन्द्राज सोनू पिता छोटूलाल के अंकन को विलोपित कर सुरजमल बैरवा पिता छोटू दर्ज करने का अनुरोध किया तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहां और प्रार्थी ने तहसीलदार साहब हिण्डोली व राजस्व लोक अदालत केम्प चतरंगज में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थी का नाम दुरूस्त नहीं किया गया है और अन्तिम बार राजस्व कैम्प तहसील कार्यालय में लगा तो उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का कारण दिनांक 20.02.2025 को उत्पन्न हुआ प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम चतरंगज पटवार म0 चतरंगज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी खाता संख्या 248 की भूमि खसरा संख्या 1052, 1071, 1072, 1081, 1082, 1092, 1093, 1094 कुल किता 8 कुल रकबा 3.4318 हैक्टेयर, खाता संख्या 272 के खसरा संख्या 1793/1294, 1794/1294 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3884 हैक्टेयर वाके ग्राम चतरगंज पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में दर्ज मुस्मात सोनू पिता छोटू के अंकन को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर सुरजमल बैरवा पिता छोटू दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर जवाब पेश नहीं किए जाने से जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 13 तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/2024 दिनांक :–02.06.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम चतरगंज के खाता संख्या 248 में प्रार्थी का नाम सोनू पुत्र छोटू दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आंम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान को उक्त खाता नम्बर में दर्ज सोनू पुत्र छोटू व सुरजमल पुत्र छोटू एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज सोनू पुत्र छोटू के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम सुरजमल पुत्र छोटू दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम सुरजमल पुत्र छोटू है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीतिं से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम सुरजमल पुत्र छोटू दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम चतरगंज पटवार मण्डल चतरगंज के खाता संख्या 248 में दर्ज सहखातेदार सोनू पुत्र छोटू के स्थान प्रार्थी का सही नाम सुरजमल पुत्र छोटू शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 21.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

21/08/2025

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

[illegible] स
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)